

‘प्र.मंत्री मोदी ने “राष्ट्र के नाम संदेश” प्रसारित करने की परम्परा का दुरुपयोग किया’

विपक्ष का आरोप है कि प्र.मंत्री मोदी ने इस प्रसारण की सुविधा का बहाना पकड़कर एक पूर्णतया राजनीतिक भाषण दिया और विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस को बुरी तरह कोसा

लोकसभा का सातवां सत्र समाप्त

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 18 अप्रैल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शनिवार को अठारहवीं लोकसभा के सातवें सत्र का समापन करते हुए बताया कि सत्र को उत्पादकता लगभग 93 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि 31 बैठकें हुईं, जिनका कुल समय 151 घंटे 42 मिनट था। केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा लगभग 13 घंटे चली, जिसमें 63 सांसदों ने भाग लिया। संविधान (131वाँ संशोधन) बिल, केन्द्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल और परिसीमन बिल

ईरान में भी नेतृत्व में “पावर स्ट्रगल” (सत्ता के संघर्ष) साफ दिखने लगा है!

एक तरफ हैं, विदेश मंत्री अब्बास अराघची व राष्ट्रपति पेजेस्कियन, जो व्यवहारिक नर्म रुख के हिमायती हैं, दूसरी ओर हैं कट्टरपंथी, जो सुप्रीम कमांडर मोजतबा खामनेई और संसद के स्पीकर के समर्थक हैं, जिन्हें इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर की पूरी बैकिंग भी प्राप्त है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने बताया कि इस सत्र की प्रोडक्टिविटी 93 प्रतिशत रही।

पर 16 अप्रैल से आहूत विशेष सत्र में 21 घंटे 27 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 131 सांसदों ने भाग लिया। बिड़ला ने कहा कि संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका।

सत्र के दौरान 12 सरकारी बिल पेश किए गए और 9 बिल पारित हुए, जबकि कुल 326 सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दे उठाए गए।

बिड़ला ने जानकारी दी कि भारत की राष्ट्रपति ने 28 जनवरी, 2026 को दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—अंजन राँव—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 18 अप्रैल ईरान में कड़ा रुख अपनाते वालों और अधिक सूक्ष्म वार्ता रणनीति व संभावित सामान्यीकरण के पक्षधर नेताओं के बीच विभाजन है। ईरान की राज्य संरचना के विभिन्न स्तरों पर नेताओं के अलग-अलग रुख हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन नर्म रुख के पक्षधर माने जाते हैं।

दूसरी ओर हैं, सर्वोच्च नेता मोजतबा खामनेई जो अभी अनुपस्थित हैं, और संसद के अध्यक्ष के समर्थक हैं, जो कट्टरपंथी हैं, संसद के स्पीकर ने पहले युद्धविराम वार्ता का नेतृत्व किया था। उन्हें ईरानी क्रान्तिकारी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) का समर्थन प्राप्त है, जिसका आंतरिक सुरक्षा पर कड़ा

इस “पावर स्ट्रगल” के कारण ही एक बार तो घोषणा हुई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी जहाजों के आवागमन के लिए खोल दी गई है। पर, शाम तक दूसरी घोषणा आई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पुनः आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है, अमेरिका के ब्लॉकड के कारण।

यह स्थिति और जटिल हो गई क्योंकि ट्रंप भी अपनी किसी बात पर दृढ़ता से नहीं टिकते।

इसके अलावा ईरान में जमीनी संगठन की इकाइयों को अपने स्तर पर काफी निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।

इसीलिए भारत के जहाज, जो तेल लेकर भारत आ रहे थे, पर, फायरिंग हुई और उन्हें बीच रास्ते में अपने जहाजों को रोक कर पीछे लौटने को मजबूर किया गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, तब भी नहीं जबकि ईरान व अमेरिका के बीच लड़ाई चरम पर थी।

निंत्रण है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—रेणु मिश्रल—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। दो महत्वपूर्ण राज्य विधानसभाओं के चुनावों की पूर्व संख्या पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोगों से सीधे बात करने और अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने का अवसर मिला, जिन्होंने बिल को असफल कर दिया।

यह भाषण प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल बिल्कुल नहीं था। इसमें मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए विपक्षी पार्टियों पर हमला किया गया।

राष्ट्र के नाम संबोधन आमतौर पर गंभीर मामलों के लिए आरक्षित होता है, जैसे युद्ध, कोई आपात स्थिति, बड़े नीतिगत फैसले आदि। शाब्दिक यह पहला अवसर है, जब इसका इस्तेमाल विपक्षी

विपक्ष के अनुसार, प्र.मंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश, सरकारी खर्च से प्र.मंत्री मोदी का पूरा भाषण देश भर में प्रसारित किया, यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और अगर प्र.मंत्री को पूरे देश को संबोधित करने का मौका दिया गया है तो यह मौका विपक्ष को भी मिलना चाहिए, मोदी जी द्वारा लगाए गये आरोपों का जवाब देने के लिए।

विपक्ष के आरोपों के अनुसार, प्र.मंत्री मोदी का पूरा भाषण राजनीतिक था तथा उन्होंने सरकार खर्च से प.बंगाल व तमिलनाडु की जनता को संबोधित किया। पर क्या ऐसा मौका विपक्ष को भी दिया जाएगा।

दलों पर व्यक्तिगत हमले करने के लिए किया गया।

इस प्रकार, वे हमारी सबसे खराब अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं!! उन्होंने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए चुनावी प्रचार भाषण दिया, और एयर-वेक्स (प्रसारण) का दुरुपयोग किया। सभी सभ्य समाजों में एयर-वेक्स के निष्पक्ष आवंटन के नियम होते हैं, ताकि

सभी राजनीतिक विचारों को बराबर समय मिले। इस मामले में प्रधानमंत्री को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि वे विपक्षी पार्टियों पर हमला करने के लिए एयर-वेक्स का उपयोग करते हैं, तो विपक्ष को भी ठीक उसी समय अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे जवाब दे सकें। प्रधानमंत्री का संबोधन महिला

आरक्षण बिल से संबंधित था, लेकिन परिसीमन और लोकतंत्र को दरकिनार करने और संघीय ढांचे पर हमला करने के उनके प्रयास का उसमें कोई उल्लेख नहीं था।

यह प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक नेता का राजनीतिक भाषण था, जिसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘करौली जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर खेल सचिव का फैसला तर्कसंगत नहीं’

हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि खेल सचिव 60 दिन के भीतर पुनः सुनवाई करके न्यायसंगत फैसला सुनाएं

—यादवेन्द्र शर्मा—

जयपुर, 18 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट में करौली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अवैध और असंवैधानिक तरीके से चुनाव आयोजित कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश समीर जैन ने आदेश पारित किया है कि इस मामले में युवा मामलात और खेल विभाग के सचिव द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश तर्कसंगत नहीं हैं। उन्होंने सचिव को पुनः सभी संबंधित पार्टी/क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से चुनाव आयोजित करने से संबंधित शिकायतों और आपत्तियों की सुनवाई करते हुए 60 दिन के भीतर नए आदेश पारित करने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता करौली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि, एडहॉक कमेटी ने चुनाव के नोटिस अवैध तरीके से जारी किए थे, क्योंकि उस समय खेल सचिव के समक्ष अपील दायर की हुई थी।

परंतु तत्कालीन खेल सचिव ने करौली जिला क्रिकेट संघ के सदस्यों के पक्ष को भी सुनना उचित नहीं समझा। बाद में खेल सचिव के फैसले पर 11 जून 2025 को हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी।

एस.एस.होरा और उनके सहायक अधिवक्ता अप्रति गुप्ता पैरवो के लिए पेश हुए थे।

यह मामला करौली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव आयोजित करने से संबंधित है। एसोसिएशन को 22 मई 2025 को एडहॉक कमेटी द्वारा चुनाव आयोजित

करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नोटिस गैरकानूनी इसलिए है, क्योंकि राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट 2005 के तहत एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव से सम्बंधित अपील युवा मामलात और खेल विभाग के सचिव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती 21 के चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

जयपुर, 18 अप्रैल। हाईकोर्ट की खंडपीठ के 859 पदों की एसआई भर्ती: 2021 को रद्द करने के 4 अप्रैल 2026 के फैसले के खिलाफ चयनित एसआई अजीत सिंह राजपूत व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। एसएलपी में चयनित एसआई ने

उन्होंने हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को निरस्त करने का आग्रह किया।

एसआई भर्ती: 2021 को बरकरार रखते हुए खंडपीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। चयनित एसआई का कहना है कि पूरी भर्ती को ही रद्द करना गलत है और जिन अभ्यर्थियों का चयन वैध तरीके से हुआ है, उन्हें नौकरी में बरकरार रखा जाए। लेकिन जिन्होंने नकल और पेपरलोक के जरिए गड़बड़ी से परीक्षा पास की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे में कुछ लोगों की गलती की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डीएमके ने अपने सांसद से राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करवाया

महिला आरक्षण बिल रोकने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराने की कोशिश का जवाब देने के लिए डीएमके ने यह पहल की

—श्रीदंड झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह रेखांकित करने की कोशिश की कि विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण को रोक रखा है, वहीं ड्रमुक ने सरकार की इस नैरेटिव का मुकाबला करने की पहल की है।

भाजपा नेतृत्व वाली संविधान के 131वें संशोधन बिल के संसद परीक्षण में विफल होने के कुछ समय बाद, ड्रमुक के सांसद विल्सन ने राज्यसभा में एक निजी सदस्य बिल पेश किया, जिसमें प्रस्ताव किया गया कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों के आधार पर अगले चुनाव से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए, बिना किसी सीट वृद्धि, परिसीमन या नए या पुराने जनगणना डेटा के।

डीएमके सांसद विल्सन ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया और अगले आम चुनाव में सीटों की संख्या में वृद्धि किए बिना महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक महिला आरक्षण पर विपक्षी पार्टियों की स्थिति को सामने लाने वाला पहला विधायी कदम है। हालांकि, सत्रावसान के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई।

यह विधेयक संविधान संशोधन का प्रस्ताव करता है तथा सरकार के 2023 के नारी शक्ति वंदन विधेयक के विपरीत इसमें महिला आरक्षण पर 15 साल की सीमा का प्रावधान भी नहीं है।

विपक्षी दलों, खासकर डीएमके का तर्क है कि परिसीमन राजनीतिक मानचित्र को बदल देगा और इससे दक्षिणी राज्य नुकसान में रहेंगे।

विपक्ष के नेताओं ने जोर दिया कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सरकार की जल्दबाजी में परिसीमन के सवाल को जोड़कर पुराने 2011 के जनगणना डेटा के आधार पर बिल पास कराने की चाल के खिलाफ थे, बिना सीटों के क्षेत्रीय वितरण,

जातियों और उपजातियों के बड़े सवाल को हल किए।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल कहा कि यदि सरकार इसे बिना परिसीमन लिंक के वापस लाती है, तो विपक्ष 2023 के मूल महिला आरक्षण बिल का 100 प्रतिशत समर्थन करेगा।

ड्रमुक सांसद द्वारा पेश किया गया

यह बिल विपक्षी पार्टियों की इस सूक्ष्म स्थिति को सामने लाने वाला पहला विधायी कदम है। ड्रमुक का बिल संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि 2023 का महिला आरक्षण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘कैसे कराई जा रही है निर्धारित क्षेत्र के बाहर हाथी की सवारी’

जयपुर, 18 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर इलाके में अवैध रूप से हाथी सवारी के मामले में प्रमुख पुरातत्व सचिव, निदेशक, पर्यटन निदेशक, उप निदेशक पर्यटन और उप वन अधिकारी सहित, निजी पक्षकारों

हाई कोर्ट ने पुरातत्व, पर्यटन तथा वन विभाग से जवाब मांगा।

को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हाथी गांव विकास समिति की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि हाथी गांव में वन मंत्रालय के निर्देश पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं। आरंभ में यहाँ करीब सौ हाथी रखे गए थे। वहीं बाद में समय के साथ महावतों की संख्या बढ़ने से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बी-टू-बाईपास पर बसी श्रीराम कॉलोनी और 2200 करोड़ रु. की 42 बीघा जमीन का विवाद पुनः गर्माया

हाऊसिंग बोर्ड के पक्ष में हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के विरोध में श्रीराम कॉलोनी बी-विकास समिति ने खंडपीठ में अपील दायर की

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर, 18 अप्रैल। राजधानी जयपुर में बी-टू- बाईपास से द्रव्यवती नदी तक 2200 करोड़ रुपए की बेशकीमती 42 बीघा जमीन का विवाद सुनवाई अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा तथा जस्टिस सोमवार को होगी। शनिवार को हुई सुनवाई में हाऊसिंग बोर्ड ने भी अदालत को आश्चर्य किया है कि, खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई होने तक उनकी ओर से पेशान लेने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ज्ञात रहे कि बी-टू-बाईपास रोड पर बसी श्रीराम कॉलोनी को जेडीए द्वारा 29 मई 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ में जस्टिस गणेशराम मीणा ने गत 10 अप्रैल को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया था। उन्होंने 31 जुलाई 1981 का समझौता विन्यय भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया था। इस आदेश के बाद गत 16 अप्रैल को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने करीब 2200 करोड़ रुपए की इस बेशकीमती जमीन का कब्जा लेने के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की थी। शुक्रवार को इस प्रकरण में श्रीराम कॉलोनी-बी विकास समिति की ओर से दायर अपील पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और अशोक कुमार जैन की

हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सोमवार को इस प्रकरण में सुनवाई होगी।

आवासन मंडल ने भी आश्चर्य किया है कि, सोमवार को खंडपीठ में सुनवाई होने तक उनकी ओर से पेशान लेने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने गत 10 अप्रैल को हाऊसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि थोखाघड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अंतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है।

खंडपीठ ने सुनवाई की। श्रीराम कॉलोनी विकास समिति की ओर से अधिवक्ता आशीष शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले तथा इसके बाद राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध जताया। अब इस प्रकरण की सुनवाई अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा तथा जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सोमवार को होगी।

दूसरी ओर राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की ओर से भी अदालत को आश्चर्य किया गया है कि जब तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और शुभा मेहता की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक मौके पर पेशान लेने की कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

गौरतलब है कि, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की ओर से दायर याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने 10 अप्रैल को सुनवाई की थी। अदालत ने विवादित करीब 42 बीघा जमीन से जुड़े मामले में जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, थोखाघड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अंतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है। अदालत ने माना कि 12 फरवरी, 2002 को एकलपीठ से गलत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उन्होंने बताया कि सरकार ने महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें मूल वेतन और पेंशन की मौजूदा दर 58 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)